कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–3 (विश्व बैंक)
लो0नि0वि0, सीतापुर

पत्रांक: 96/ 1सी/2018 दिनांक: 10/04/2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी, वन प्रभाग,
लखीमपुर–खीरी।

विषय: विश्व बैंक पोषित उ0प्र0 कोर नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत गोला शाहजहांपुर मार्ग (एस0एच0–93) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में 0.0000 से 49.00 तक चौड़ीकरण हेतु 1.998 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 47.1 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 49.098 हे0 वनभूमि तथा शाहजहांपुर में किमी0 49.000 से 59.000 तक 8.00 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 57.098 हे0 वनभूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं0 FP/UP/Road/13414/2015

संदर्भ: वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ के पत्र संख्या 8बी/यू0पी0/06/109/2016/ एफ0सी0/590 दिनांक 14.11.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा दि0 09.11.2017 को आर0ई0सी0 बैठक में प्रस्ताव सं0 FP/UP/Road/13414/2015 को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी। भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव के सैद्धांतिक स्वीकृति में लगायी गयी शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वृक्षो के छपान व पातन हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करने की कृपा करे।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

10/4/18

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड–3 (विश्व बैंक),
लो0नि0वि0, सीतापुर

पत्रांक: 96/1सी/2018 दिनांक: 10/04/2018

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना, लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक योजना वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ।

10/4/18

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड–3 (विश्व बैंक),
लो0नि0वि0, सीतापुर

13/04/18

13-4-18

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–3 (विश्व बैंक)
लो0नि0वि0, सीतापुर

पत्रांक: 95 / 1सी / 2018

सेवा में,

दिनांक: 10 / 04 / 2018

प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहांपुर।

विषयः विश्व बैंक पोषित उ0प्र0 कोर नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत गोला शाहजहांपुर मार्ग (एस0एच0–93) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में 0.0000 से 49.00 तक चौड़ीकरण हेतु 1.998 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 47.1 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 49.098 हे0 वनभूमि तथा शाहजहांपुर में किमी0 49.000 से 59.000 तक 8.00 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 57.098 हे0 वनभूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं0 FP/UP/Road/13414/2015

संदर्भः वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ के पत्र संख्या 8बी / यू0पी0 / 06 / 109 / 2016 / एफ0सी0 / 590 दिनांक 14.11.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा दि0 09.11.2017 को आर0ई0सी0 बैठक में प्रस्ताव सं0 FP/UP/Road/13414/2015 को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी। भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव के सैद्धांतिक स्वीकृति में लगायी गयी शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वृक्षो के छपान व पातन हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

10/4/18

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड–3 (विश्व बैंक),
लो0नि0वि0, सीतापुर

पत्रांक: / /2018

दिनांक: / /2018

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना, लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक योजना वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ।

Received
12/04/18

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड–3 (विश्व बैंक),
लो0नि0वि0, सीतापुर

Scanned with CamScanner

Enclosure-1

Pointwise compliance of Principal Approval of MoEF and CC, Govt. of India CF (Central), MoEF & CC, Lucknow Letter 8B/UP/06/109/2016/FC/590 Dated 14.11.2017 (Proposal No. FP/UP/Road/13414/2015)

क्र0सं0	भारत सरकार द्वारा लगायी गयी शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वन भूमि अर्थात 114.196 हे0 (57.098X2=114.196 ha) पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि को कैम्पा, एकाउण्ट में NEFT द्वारा सीतापुर कोषागार का टोकन नं0 461864446 दिनांक 23.03.2018 द्वारा भुगतान कर दिया गया है। संलग्नक–2 (चालान, टोकन नं0, एस0बी0आई0, सीतापुर से मेल द्वारा प्राप्त ई–पेमेन्ट की रसीद की छायाप्रति)
2 (क)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चततम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि कैम्पा एकाउण्ट में, NEFT द्वारा सीतापुर कोषागार का टोकन नं0 461864446 दिनांक 23.03.2018 द्वारा भुगतान कर दिया गया है। संलग्नक–2 (चालान, टोकन नं0, एस0बी0आई0, सीतापुर से मेल द्वारा प्राप्त ई–पेमेन्ट की रसीद की छायाप्रति)
2 (ख)	इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की आनलाइन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	जमा की गयी कुल धनराशि रु0 59321739.00 (वृक्षारोपड़ एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु रु0 14888045.00 एवं एन0पी0वी0 हेतु धनराशि रु0 44433694.00) को कैम्पा एकाउण्ट में, NEFT द्वारा सीतापुर कोषागार का टोकन नं0 461864446 दिनांक 23.03.2018 द्वारा भुगतान कर दिया गया है। संलग्नक–2 (चालान, टोकन नं0, एस0बी0आई0, सीतापुर से मेल द्वारा प्राप्त ई–पेमेन्ट की रसीद की छायाप्रति) सैद्धांतिक स्वीकृत में उल्लेखित समस्त शर्तो का अनुपालन इस पत्र के साथ किया जा रहा है।
2 (ग)	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेगें कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनरशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	इस हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्नक–3
3	विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भो द्वारा सीमाकंन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर	इस हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्नक–4

	किया जायेगा। अक्षांश एवं देशांतर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forword) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।	
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगें की आई0आर0सी0 के मानको के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0), सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वंय के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो वृक्षारोपण किया जायेगा।	इस हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्नक–5
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्नक–6
6	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून, दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	इस हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्नक–7
7	सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण प्रत्र प्रस्तुत करेगें।	इस हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्नक–8
8	राज्य सरकार ऑनलाईन प्रस्ताव में सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज जो कि एन0आई0सी0 के स्तर पर तकनीकी रूप से अपलोड नही हो पाये है उक्त दस्तावेज ऑनलाईन अपडेट करते हुए इस कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करेगी।	ऑनलाईन प्रस्ताव में सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज तथा क्षतिपूरक वनीकरण की KML file, Toposheet & Geo Reference Map ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड हो गयी है।

For UPPWD

10/4/19

Executive Engineer,
CD-3 (World Bank),
PWD, Sitapur

Praptra-1

Serial No.	Detail	Compliance
1	2	3
1	CA amount as per proposal	11230871
2	CA amount deposited	11230871
3	Difference in amount	0
4	Reason for difference	-
5	NPV amount as per proposal	39425694
6	NPV amount deposited	39425694
7	Difference in amount	0
8	Reason for difference	-
9	Any other amount deposited- (Complete detail be provided)	0
10	CAMPA confirmation	Payment has been made by E-payment in Ad-HOC CAMPA against application no. 6113414970 challan generated on dated 23.03.2018 and transaction dated 28.03.2018 by user agency Chief Engineer, Externally Aided Project, P.W.D., Lucknow.

([illegible] Kumar)
Divisional Forest Officer
South Kheri Forest Division,
Lakhimpur Kheri

Enclosure -2

ONLINE FUND SUBMISSION RECEIPT

SBI

SBI ONLINE

How Do I | Customer Care / Mail Box | Help | Contact Us

Welcome: UTTAR PRADESH TREASURY (311213) (Uploader)
SUJEET KUMAR

File Configuration | File Upload | Profile | Direct Debit | Reports | Logout

You are here: Reports » File Upload Status

Site Map

- Download MIS
- Download by Date
- Download Recon Files
- Pending For Authorization
- Files Under Process
- » File Upload Status
- Download By File
- Download Beneficiary List
- Account Based MIS
- Bulk Download Challan
- Pending Transactions
- Download Duplicate Beneficiaries

Your previous site visit:
29-Mar-2018 14:23 IST

Last Internet Banking Transaction:
Request for ThirdParty
24-Mar-2018 16:52 IST

File Upload Status

10-Apr-2018 [12:29 PM IST]

e-PayOrder Number	CNAAILTGC0
Debit Status	Success
Remarks	Completed Successfully
Scheduled Time	23-Mar-2018 07:00 IST

Date 25-03-2018

Pay UTTAR PRADESH CAMPA

Maker SUJEET KUMAR

Account No. 00000032391709115

59321739.00

STATE BANK OF INDIA

SITAPUR

CNAAILTGC0

[illegible] GAUTAM 1972 Approver | MAHENDRA KUMAR AGRAWAL Authorizer 1 | [illegible] MOHAN Authorizer 2

[illegible]23032018

Actual Debit Amount	5,93,21,739.00
Commission	0.00
Counterfoil Description	1885
Transaction Type	NEFT Transfer

Debit Account Details

Account No.	Branch	Amount
00000032391709115	SITAPUR	59321739.00

Credit Account Details

Account No. / Name	Bank/Branch	Amount	Credit Status
15000511314970 / UTTAR PRADESH CAMPA	FCS BANGALORE/CORPORATION BANK	59321739.00	Fund settled by RBI with beneficiary Bank

Back

© Copyright OnlineSBI

Privacy Statement | Terms of Use

Sd/- 10/4/18
(S.K. Gautam)

Total Proposal Received(Electronically) Under FCA: 113

Online Submission & Monitoring of Forest and Wildlife Clearance Proposals

:: Logout

[Role : Nodal Officer]
[State : Uttar Pradesh]

Change

District Collector | Configuration | Add Proposal | Update Proposals,Received Upto 31-12-2011 | Miscellaneous | Downloads | Upload\Publish Documents | Others | Processing of Proposals received on or after 15 July 2014

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.
CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submittted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.
Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.
Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.
Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made.
Paid : This icon shows that the payment has been made.

Online Help/Query

...posals received on or after 15th July 2014 ○ All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Lucknow **Select State :** Uttar Pradesh

Select User Agency : Select

Payment Status : ◉ Paid ○ Unpaid ○ All

Bank Name : --Select All-- **Mode of Payment :** --Select All--

Transaction Date (From) : **Transaction Date (To) :**

Enter value for Search : 13414

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/ROAD/13414/2015 Widening of "Gola-Shahjahanpur" section of State Highway No. 93" from Km 0.000 to Km 49.000 of SH-93 in Lakhimpur Kheri district and from Km 49.000 to Km 59.000 of SH-93 in Shahjahanpur district of Uttar Pradesh P	ROAD134142015970	14 Nov 2017	CA: 14888045/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 44433694/-, Total : 59321739/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 23 Mar 2018 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 23 Mar 2018 Transaction Date : 26 Mar 2018	Demand Letter Generated Challan

Help | Site Map | FAQ | Contact Us

Designed, developed and hosted by NIC. Data owned,updated & Maintained by MoEF.

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 23-03-2018

Agency Name.	PWD
Application No.	6113414970
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	Office of the Chief Engineer, World Bank Projects Lucknow
Amount(in Rs)	59321739/-

Amount in Words :Five Crore Ninety-Three Lakh Twenty-One Thousand Seven Hundred and Thirty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	150906113414970
Bank Name & Address:	Corporation Bank PCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be creadited to the respective CAMPA State Account.

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 23-03-2018

Agency Name.	PWD
Application No.	6113414970
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	Office of the Chief Engineer, World Bank Projects Lucknow
Amount(in Rs)	59321739/-

Amount in Words :Five Crore Ninety-Three Lakh Twenty-One Thousand Seven Hundred and Thirty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	150906113414970
Bank Name & Address:	Corporation Bank PCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be creadited to the respective CAMPA State Account.

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

10/4/18
(S.K. Gautam)

CCL/DCL E-PAYMENT BILL FORM FOR FINANCIAL YEAR-20172018

ISION CODE : 1885

DIVISION NAME : WORLD BANK DN STP

HEAD CODE: 8782001020202

1. District Name : SITAPUR 2. Treasury Name : SITAPUR . 3. Bill Date: 23-03-18 4. Record Code ;CCL 5. Treasury Code : 4600
6. Bill Register Serial No : C188500001 7. Voucher No : 8. Voucher Date : 9. Token No:461864446
10. Non-PlanVoted 12.Object Code:24 13. Head of Account (13 Digit Code) : 5054050379705 Major Head : (5054) - CAPITAL OUTLAY ON ROQADS AND BRIDGES Minor Head : (337) - ROAD WORKS Sub Head : (97) - 14.Grant No:058

(66)-Gross :59321739 (77)-Total Deduction :0 (99)-Net Amount :59321739

SBI :0 NON SBI:59321739 Draft : 0

Signature D.D.O.

Passed for Rs.59321739 (Rs. Five Crore Ninety Three Lakh Twenty One Thousand Seven Hundred Thirty Nine Only)

Under Rs.59321740

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3 (विश्व बैंक)
लो०नि०वि०, सीतापुर

Signature(BPA) Signature(ATO) Signature(TO/STO/CTO)

10/4/18
(S.K. Gautam)

Enclosure -3

UNDERTAKING FOR PAYMENT OF NET PRESENT VALUE OF FOREST AREA

It is to certify that I/We have applied for diversion of 114.196 ha. (47.1 x 2 = 94.2 ha. Protected Forest + 1.998 x 2 = 3.996 ha. Reserve Forest in District Kheri and 8.00 x 2 = 16 ha. Protected Forest in District Shahjahanpur) of Forest area for the purpose of Widening / Improvement of Gola-Shahjahanpur Road (SH-93)) from Km 0.00 to km 49.00 in Lakhimpur Kheri District and Km. 49.00 to 59.00 in Shahjahanpur District.

I/We, hereby, undertake to pay the net present value (NPV) of the above forest land. I/we also hereby undertake to pay the additional amount of NPV, if any change occurs in future for rate of NPV.

For UPPWD

10/4/18
(S.K. Gautam)
Executive Engineer,
CD-3 (World Bank),
PWD, Sitapur

Enclosure -4

UNDERTAKING FOR PAYMENT OF DEMARCATION OF FOREST AREA

It is to certify that I/We have applied for diversion of 114.196 ha. (47.1 x 2 = 94.2 ha. Protected Forest + 1.998 x 2 = 3.996 ha. Reserve Forest in District Kheri and 8.00 x 2 = 16 ha. Protected Forest in District Shahjahanpur) of Forest area for the purpose of Widening / Improvement of Gola-Shahjahanpur Road (SH-93)) from Km 0.00 to km 49.00 in Lakhimpur Kheri District and Km. 49.00 to 59.00 in Shahjahanpur District.

I/We, hereby, undertake to pay the cost of demarcation of proposed Forest Area by pillars mentioning bearing at Forward and Backward side after Formal Approval. The pillaring shall be undertaken during Joint Survey with Forest Dept. Map mentioning the Latitude and Longitude of the pillars shall also be submitted to forest dept.

For UPPWD

10/4/18
(S.K. Gautam)
Executive Engineer,
CD-3 (World Bank),
PWD, Sitapur

Enclosure-5

UNDERTAKING FOR PAYMENT OF PLANTATION BOTH SIDE OF THE ROAD

It is to certify that I/We have applied for diversion of 114.196 ha. (47.1 x 2 = 94.2 ha. Protected Forest + 1.998 x 2 = 3.996 ha. Reserve Forest in District Kheri and 8.00 x 2 = 16 ha. Protected Forest in District Shahjahanpur) of Forest area for the purpose of Widening / Improvement of Gola-Shahjahanpur Road (SH-93)) from Km 0.00 to km 49.00 in Lakhimpur Kheri District and Km. 49.00 to 59.00 in Shahjahanpur District.

I/We, hereby, undertake to pay the cost of plantation both side the road and median (based on availability) under the directives of Forest Dept.

For UPPWD

10/4/18

(S.K. Gautam)

Executive Engineer,
CD-3 (World Bank),
PWD, Sitapur

Enclosure -6

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF MUCK DISPOSAL

It is to certify that I/We have applied for diversion of 114.196 ha. (47.1 x 2 = 94.2 ha. Protected Forest + 1.998 x 2 = 3.996 ha. Reserve Forest in District Kheri and 8.00 x 2 = 16 ha. Protected Forest in District Shahjahanpur) of Forest area for the purpose of Widening / Improvement of Gola-Shahjahanpur Road (SH-93)) from Km 0.00 to km 49.00 in Lakhimpur Kheri District and Km. 49.00 to 59.00 in Shahjahanpur District.

I/We, hereby, undertake that the existing bituminous layer will be milled by milling machines and collected at plant site by using latest technology of recycling of the milled material, which is regenerate by adding admixture and emulsion. Thus the obtained mix will be reused in the construction of project highways. This practice is permissible under the Specification for highways published by Ministry of Road Transport & Highways (MORTH).

Hence, the project itself will not produce any muck to be disposed. It is further stated that muck produced is very valuable material and is mixture of grit and bitumen which is not advisable to throw it off.

12.4.18
समीर कुमार
प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर–खीरी

For UPPWD
10/4/18
(S.K. Gautam)
Executive Engineer,
CD-3 (World Bank),
PWD, Sitapur

Enclosure-7

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF GUIDELINES

It is to certify that I/We have applied for diversion of 114.196 ha. (47.1 x 2 = 94.2 ha. Protected Forest + 1.998 x 2 = 3.996 ha. Reserve Forest in District Kheri and 8.00 x 2 = 16 ha. Protected Forest in District Shahjahanpur) of Forest area for the purpose of Widening / Improvement of Gola-Shahjahanpur Road (SH-93)) from Km 0.00 to km 49.00 in Lakhimpur Kheri District and Km. 49.00 to 59.00 in Shahjahanpur District.

I/We, hereby, undertake to comply with all present and future Regulations and Guidelines as may applicable for the project.

For UPPWD

10/11/18

(S. K. Gautam)

Executive Engineer,

CD-3 (World Bank),

PWD, Sitapur

Enclosure -8

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF GUIDELINES

It is to certify that I/We have applied for diversion of 114.196 ha. (47.1 x 2 = 94.2 ha. Protected Forest + 1.998 x 2 = 3.996 ha. Reserve Forest in District Kheri and 8.00 x 2 = 16 ha. Protected Forest in District Shahjahanpur) of Forest area for the purpose of Widening / Improvement of Gola-Shahjahanpur Road (SH-93)) from Km 0.00 to km 49.00 in Lakhimpur Kheri District and Km. 49.00 to 59.00 in Shahjahanpur District.

I/We, hereby, undertake that no work shall be carried in Forest Area before Formal Approval of the Project under Forest Conservation Act, 1980.

10-4-2018
समीर कुमार
प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खीरी

For UPPWD
10/4/18
(S.K. Gautam)
Executive Engineer,
CD-3 (World Bank),
PWD, Sitapur

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद लखीमपुर खीरी की दक्षिण खीरी वन प्रभाग के अर्न्तगत गोला–शाहजहाँपुर मार्ग (एस0 एच0 –93) के चौडीकरण हेतु लखीमपुर खीरी में किमी0 0.00 से 49.00 तक 47.1 हे0 संरक्षित वन भूमि के दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए एवं 1.998 हे0 आरक्षित वन भूमि के लिए समतुल्य राजस्व भूमि चयनित की गई है, जो वृक्षारोपण दृष्टिकोण से उपयुक्त है एवं अतिक्रमण रहित है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चयनित की गई भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0सं0	गाटा नं0/कम्पार्टमेन्ट नं0/कूप नं0	ग्राम	तहसील	जनपद	क्षे0(हे0)	भूमि का प्रकार	प्रस्तावित वन भूमि का प्रकार	प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्र (हे0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2271	ग्रन्ट लख़्मपुर	गोला	लखीमपुर खीरी	2.165	राजस्व भूमि	आरक्षित	1.998
2	3 बी	बेलापहाडा (मूडागालिब)	मोहम्मदी	"	4	अवनत आरक्षित वन भूमि	संरक्षित	47.1
3	1	दक्षिण कटना	मोहम्मदी	"	3	"	"	
4	4	दक्षिण कटना	मोहम्मदी	"	4	"	"	
5	2	विशोखर	गोला	"	3	"	"	
6	2 ए	विशोखर	गोला	"	15	"	"	
7	5	विशोखर	गोला	"	14	"	"	
8	1	दिलावरनगर	मोहम्मदी	"	25	"	"	
9	2	दिलावरनगर	मोहम्मदी	"	22	"	"	
10	4	सैदापुर	मोहम्मदी	"	5	"	"	

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मोहम्मदी रेंज

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग

प्राक्कलन

गोला से शाहजहाँपुर राजमार्ग संख्या 93 के किमी0 00 से 49.00 किमी0 तक चौड़ीकरण में प्रयोगार्थ 1.998हे0 आरक्षित एवं 47.1हे0 संरक्षित वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं रख–रखाव में व्यय होने वाली धनराशि निम्नवत् है:–

2.165 हे0 आरक्षित वन भूमि हेतु रूपये 2,63,056.00

95.00हे0 संरक्षित वन भूमि हेतु रूपये 1,09,67,815.00

कुल योग– 1,12,30,871.00

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर खीरी।

क्र0सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
	चतुर्थ चरण				
1	पौध की निराई गुड़ाई– 3 बार जाड़ों की गुड़ाई सहित	प्र0पौध	3960	1.15	13662.00
2	वृक्षारोपण की देख रेख व अनुरक्षण कार्य (अप्रैल 2020 से जून 2021 तक)	प्र0दिन	47	174.00	8178.00
3	अन्य प्रकीर्ण व्यय	प्र0 है0	4	L.S.	340.00
			चतुर्थ चरण का योग		22180.00

सारांश

क्र0सं0	चरण	धनराशि	10 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि के आधार पर प्रस्तावित धनराशि
1	प्रथम चरण	107120.00	117832.00
2	द्वितीय चरण	96200.00	105820.00
3	तृतीय चरण	61240.00	67364.00
4	चतुर्थ चरण	22180.00	24398.00
5	पांचवाँ चरण	22180.00	24398.00
6	छठवाँ चरण	22180.00	24398.00
7	सातवाँ चरण	22180.00	24398.00
8	आठवाँ चरण	22180.00	24398.00
9	नवाँ चरण	22180.00	24398.00
10	दसवाँ चरण	22180.00	24398.00
	कुल योग	419820.00	461802.00

प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रथम बार किया जा रहा है।
2. प्रांवकलन क्षेत्र के अनुरूप बनाया गया है।
3. प्राक्कलन में लगायी गयी दरें मु0व0स0 लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अनुसूचित दरों के अनुरूप है।

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
लखीमपुर
दक्षिण खीरी वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोला
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर – खीरी

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
Word Bank Project ...
P.W.D. Lucknow

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खीरी

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मोहम्मदी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग

Checked

	चतुर्थ चरण				
1	पौध की निराई गुड़ाई – 3 बार थालों की गुड़ाई सहित	प्र०पौध	2970	1.15	10247.00
2	वृक्षारोपण की देख रेख व अनुरक्षण कार्य (अप्रैल 2020 से जून 2021 तक)	प्र०दिन	33	174.00	5742.00
3	अन्य प्रकीर्ण व्यय	प्र० हे०	3	L.S.	646.00
				चतुर्थ चरण का योग	16635.00

सारांश

क्र०सं०	चरण	धनराशि	10 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि के आधार पर प्रस्तावित धनराशि
1	प्रथम चरण	80340.00	88374.00
2	द्वितीय चरण	72150.00	79365.00
3	तृतीय चरण	45930.00	50523.00
4	चतुर्थ चरण	16635.00	18299.00
5	पाचवाँ चरण	16635.00	18299.00
6	छठवाँ चरण	16635.00	18299.00
7	सातवाँ चरण	16635.00	18299.00
8	आठवाँ चरण	16635.00	18299.00
9	नवाँ चरण	16635.00	18299.00
10	दसवाँ चरण	16635.00	18299.00
	कुल योग	314865.00	346355.00

प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रथम बार किया जा रहा है।
2. प्राक्कलन क्षेत्र के अनुरूप बनाया गया है।
3. प्राक्कलन में लगायी गयी दरें मु०व०सं० लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अनुसूचित दरों के अनुरूप है।

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
लखीमपुर
दक्षिण खीरी वन प्रभाग

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मोहम्मदी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोला
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर - खीरी

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खीरी

Checked

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
P.W.D. Lucknow

क्र0सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
	चतुर्थ चरण				
1	पौध की निराई गुड़ाई— 3 बार थालों की गुड़ाई सहित	प्र0पौध	3960	1.15	13662.00
2	वृक्षारोपण की देख रेख व अनुरक्षण कार्य (अप्रैल 2020 से जून 2021 तक)	प्र0दिन	47	174.00	8178.00
3	अन्य प्रकीर्ण व्यय				
		प्र0 हे0	4	L.S.	340.00
			चतुर्थ चरण का योग		22180.00

सारांश

क्र0सं0	चरण	धनराशि	10 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि के आधार पर प्रस्तावित धनराशि
1	प्रथम चरण	107120.00	117832.00
2	द्वितीय चरण	96200.00	105820.00
3	तृतीय चरण	61240.00	67364.00
4	चतुर्थ चरण	22180.00	24398.00
5	पाचवाँ चरण	22180.00	24398.00
6	छठवाँ चरण	22180.00	24398.00
7	सातवाँ चरण	22180.00	24398.00
8	आठवाँ चरण	22180.00	24398.00
10	दसवाँ चरण	22180.00	24398.00
		22180.00	24398.00
	कुल योग	419820.00	461802.00

2. प्राक्कलन क्षेत्र के अनुरूप बनाया गया है।

3. प्राक्कलन में लगायी गयी दरें मु0व0स0 लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अनुसूचित दरों के अनुरूप है।

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
लखीमपुर
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोला
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर – खीरी

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खीरी

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मोहम्मदी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
PWD, Lucknow

Checked

	चतुर्थ चरण				
1	पौध की निराई गुड़ाई– 3 बार जाड़ों की गुड़ाई सहित	प्र0पौध	2970	1.15	10247.00
2	वृक्षारोपण की देख रेख व अनुरक्षण कार्य (अप्रैल 2020 से जून 2021 तक)	प्र0दिन	33	174.00	5742.00
3	अन्य प्रकीर्ण व्यय	प्र0 है0	3	L.S.	646.00
			चतुर्थ चरण का योग		16635.00

सारांश

क्र0सं0	चरण	धनराशि	10 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि के आधार पर प्रस्तावित धनराशि
1	प्रथम चरण	80340.00	88374.00
2	द्वितीय चरण	72150.00	79365.00
3	तृतीय चरण	45930.00	50523.00
4	चतुर्थ चरण	16635.00	18299.00
5	पांचवाँ चरण	16635.00	18299.00
6	छठवाँ चरण	16635.00	18299.00
7	सातवाँ चरण	16635.00	18299.00
8	आठवाँ चरण	16635.00	18299.00
9	नवाँ चरण	16635.00	18299.00
10	दसवाँ चरण	16635.00	18299.00
	कुल योग	314865.00	346355.00

प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रथम बार किया जा रहा है।
2. प्रांकलन क्षेत्र के अनुरूप बनाया गया है।
3. प्रांकलन में लगायी गयी दरें लो0नि0वि0 लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अनुसूचित दरों के अनुरूप है।

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
लखीमपुर
दक्षिण खीरी वन प्रभाग

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मोहम्मदी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खीरी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोला
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर - खीरी

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Training Circle
P.W.D. Lucknow

Checked

1	2	3	4	5	6
	चतुर्थ चरण				
1	पौध की निराई गुड़ाई– 3 बार थालों की गुड़ाई सहित	प्र0पौध	14850	1.15	51233.00
2	वृक्षारोपण की देख रेख व अनुरक्षण कार्य (अप्रैल 2020 से जून 2021 तक)	प्र0दिन	156	174.00	27144.00
4	अन्य प्रकीर्ण व्यय	प्र0 हे0	15	L.S.	4798.00
			चतुर्थ चरण का योग		83175.00

सारांश

क्र0सं0	चरण	धनराशि	10 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि के आधार पर प्रस्तावित धनराशि
1	प्रथम चरण	401700.00	441870.00
2	द्वितीय चरण	360750.00	396825.00
3	तृतीय चरण	229650.00	252615.00
4	चतुर्थ चरण	83175.00	91493.00
5	पांचवाँ चरण	83175.00	91493.00
6	छठवाँ चरण	83175.00	91493.00
7	सातवाँ चरण	83175.00	91493.00
8	आठवाँ चरण	83175.00	91493.00
9	नवाँ चरण	83175.00	91493.00
10	दसवाँ चरण	83175.00	91493.00
	कुल योग	1574325.00	1731761.00

प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रथम बार किया जा रहा है।
2. प्राक्कलन क्षेत्र के अनुरूप बनाया गया है।
3. प्राक्कलन में लगायी गयी दरें मु0व0सं0 लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अनुसूचित दरों के अनुरूप हैं।

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
लखीमपुर
उप प्रभा० दक्षिण खीरी वन प्रभाग
गोला।
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर - खीरी

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
P.W.D. Lucknow

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर–खीरी

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मोहम्मदी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग

Checked

	चतुर्थ चरण				
1	पौध की सिंचाई गुड़ाई— 3 बार थालों की गुड़ाई सहित	प्र0पौध	13860	1.15	47817.00
2	वृक्षारोपण की देख रेख व अनुरक्षण कार्य (अप्रैल 2020 से जून 2021 तक)	प्र0दिन	156	174.00	27144.00
3	अन्य प्रकीर्ण व्यय	प्र0 है0	14	L.S.	2669.00
				चतुर्थ चरण का योग	77630.00

सारांश

क्र0सं0	चरण	धनराशि	10 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि के आधार पर प्रस्तावित धनराशि
1	प्रथम चरण	374920.00	412412.00
2	द्वितीय चरण	336700.00	370370.00
3	तृतीय चरण	214340.00	235774.00
4	चतुर्थ चरण	77630.00	85393.00
5	पांचवाँ चरण	77630.00	85393.00
6	छठवाँ चरण	77630.00	85393.00
7	सातवाँ चरण	77630.00	85393.00
8	आठवाँ चरण	77630.00	85393.00
9	नवाँ चरण	77630.00	85393.00
10	दसवाँ चरण	77630.00	85393.00
	कुल योग	1469370.00	1616307.00

प्रमाणित किया जाता है कि :—

1. क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रथम बार किया जा रहा है।
2. प्रांक्कलन क्षेत्र के अनुरूप बनाया गया है।
3. प्रांक्कलन में लगायी गयी दरें पु0नि0वि0 लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अनुसूचित दरों के अनुरूप है।

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
लखीमपुर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर – खीरी

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर–खीरी

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मोहम्मदी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
P.W.D. Lucknow

Checked

	चतुर्थ चरण				
1	पौध की निराई गुड़ाई– 3 बार जाड़ों की गुड़ाई सहित				
2	वृक्षारोपण की देख रेख व अनुरक्षण कार्य (अप्रैल 2020 से जून 2021 तक)	प्र0पौध	24750	1.15	85388.00
3	अन्य प्रकीर्ण व्यय	प्र0दिन	200	174.00	34800.00
		प्र0 हे0	25	L.S.	18437.00
				चतुर्थ चरण का योग	138625.00

सारांश

क्र0सं0	चरण	धनराशि	10 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि के आधार पर प्रस्तावित धनराशि
1	प्रथम चरण		
2	द्वितीय चरण	669500.00	736450.00
3	तृतीय चरण	601250.00	661375.00
4	चतुर्थ चरण	382750.00	421025.00
5	पांचवाँ चरण	138625.00	152488.00
6	छठवाँ चरण	138625.00	152488.00
7	सातवाँ चरण	138625.00	152488.00
8	आठवाँ चरण	138625.00	152488.00
9	नवाँ चरण	138625.00	152488.00
10	दसवाँ चरण	138625.00	152488.00
		138625.00	152488.00
	कुल योग	2623875	2886266.00

1. क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रथम बार किया जा रहा है।
2. प्राक्कलन क्षेत्र के अनुरूप बनाया गया है।
3. प्राक्कलन में लगायी गयी दरें लो0नि0वि0 लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अनुसूचित दरों के अनुरूप है।

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
लखीमपुर
उप प्रभागीय वनाधिकारी दक्षिण खीरी वन प्रभाग
गोला
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर - खीरी

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खीरी

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मोहम्मदी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
Wond Bank Yojana Circle
P.W.D. Lucknow

Checked

	चतुर्थ चरण				
1	पौध की निराई गुड़ाई– 3 बार थालों की गुड़ाई सहित	प्र०पौध	21780	1.15	75141.00
2	वृक्षारोपण की देख रेख व अनुरक्षण कार्य (अप्रैल 2020 से जून 2021 तक)	प्र०दिन	156	174.00	27144.00
3	अन्य प्रकीर्ण व्यय	प्र० हे०	22	L.S.	19705.00
			चतुर्थ चरण का योग		121990.00

सारांश

क्र०सं०	चरण	धनराशि	10 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि के आधार पर प्रस्तावित धनराशि
1	प्रथम चरण	589160.00	648076.00
2	द्वितीय चरण	529100.00	582010.00
3	तृतीय चरण	336820.00	370502.00
4	चतुर्थ चरण	121990.00	134189.00
5	पांचवाँ चरण	121990.00	134189.00
6	छठवाँ चरण	121990.00	134189.00
7	सातवाँ चरण	121990.00	134189.00
8	आठवाँ चरण	121990.00	134189.00
9	नवाँ चरण	121990.00	134189.00
10	दसवाँ चरण	121990.00	134189.00
		121990.00	134189.00
	कुल योग	2309010.00	2539911.00

प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रथम बार किया जा रहा है।
2. प्राक्कलन क्षेत्र के अनुरूप बनाया गया है।
3. प्राक्कलन में लगायी गयी दरें पु०नि०वि० लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अनुसूचित दरों के अनुरूप है।

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
लखीमपुर
दक्षिण खीरी वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोला
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर – खीरी

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
P.W.D. Lucknow

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खीरी

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मोहम्मदी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग

क्र0सं0	कार्य मद विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
	चतुर्थ चरण				
1	पौध की निराई गुड़ाई– 3 बार थालों की गुड़ाई सहित	प्र0पौध	4950	1.15	17078.00
2	वृक्षारोपण की देख रेख व अनुरक्षण कार्य (अप्रैल 2020 से जून 2021 तक)	प्र0दिन	52	174.00	9048.00
4	अन्य प्रकीर्ण व्यय	प्र0 हे0	5	L.S.	1599.00
				चतुर्थ चरण का योग	27725.00

सारांश

क्र0सं0	चरण	धनराशि	10 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि के आधार पर प्रस्तावित धनराशि
1	प्रथम चरण		
2	द्वितीय चरण	133900.00	147290.00
3	तृतीय चरण	120250.00	132275.00
4	चतुर्थ चरण	76550.00	84205.00
5	पांचवीं चरण	27725.00	30498.00
6	छठवीं चरण	27725.00	30498.00
7	सातवीं चरण	27725.00	30498.00
8	आठवीं चरण	27725.00	30498.00
9	नवीं चरण	27725.00	30498.00
10	दसवीं चरण	27725.00	30498.00
		27725.00	30498.00
	कुल योग	**524775.00**	**577256.00**

प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रथम बार किया जा रहा है।
2. प्रांयकलन क्षेत्र के अनुरूप बनाया गया है।
3. प्रांयकलन में लगायी गयी दरें मु0व0स0 लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अनुसूचित दरों के अनुरूप हैं।

प्रतिहस्ताक्षरित

उप प्रभागीय वनाधिकारी
लखीमपुर
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर – खीरी

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मोहम्मदी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर–खीरी

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
PWD Lucknow

Checked

सारांश

क्र०सं०	चरण	धनराशि	10 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि के आधार पर प्रस्तावित धनराशि
1	प्रथम चरण		
2	द्वितीय चरण	57958.00	63754.00
3	तृतीय चरण	52042.00	57242.00
4	चतुर्थ चरण	33145.00	36460.00
5	पांचवॉं चरण	12000.00	13200.00
6	छठवॉं चरण	12000.00	13200.00
7	सातवॉं चरण	12000.00	13200.00
8	आठवॉं चरण	12000.00	13200.00
9	नवॉं चरण	12000.00	13200.00
10	दसवॉं चरण	12000.00	13200.00
12	बारहवॉं चरण	12000.00	13200.00
		12000.00	13200.00
	कुल योग	239145.00	263056.00

प्रमाणित किया जाता है कि :—

1. क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रथम बार किया जा रहा है।
2. प्राक्कलन क्षेत्र के अनुरूप बनाया गया है।
3. प्राक्कलन में लगायी गयी दरें मु०व०सं० लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अनुसूचित दरों के अनुरूप है।

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
लखीमपुर
दक्षिण खीरी वन प्रभाग

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मोहम्मदी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर—खीरी

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांकः— 6106 /14-10-4 लखनऊ, दिनांक 26 अप्रैल 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः— विश्व बैंक पोषित उ0प्र0 कोर नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत गोला शाहजहांपुर मार्ग (एस0एच0—93) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में 0.0000 से 49.00 तक चौड़ीकरण हेतु 1.998 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 47.1हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 49.098हे0 वनभूमि तथा शाहजहांपुर में किमी0 49.000 से 59.000 तक 8.00 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 57.098 हे0 वनभूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 5890 वृक्षों (लखीमपुर वन प्रभाग में 5425 वृक्ष एवं शाहजहांपुर वन प्रभाग में 465 वृक्ष) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:— वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ के पत्र संख्या 8बी/यू0पी0/06/109/2016/एफ0सी0/590 दिनांक 14.11.2017 के क्रम में अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड—3 (विश्व बैंक) लो0नि0वि0 सीतापुर का पत्रांक 96/1सी/2018 दिनांक 10.04.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना में वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ के द्वारा निर्गत संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गयी शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी दक्षिण खीरी के पत्रांक 6251/33—1 दिनांक 16.04.2018 से उपलब्ध कराया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गयी शर्तों की बिन्दुवार आख्या 02 प्रतियों में ऑफलाइन निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है:—

क्र0सं0	भारत सरकार द्वारा लगायी गयी शर्तें	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वन भूमि अर्थात 114.196 हे0 (57.098X2=114.196 ha) पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख—रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	यूजर एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख—रखाव हेतु आवश्यक धनराशि को कैम्पा, एकाउण्ट में NEFT द्वारा सीतापुर कोषागार का टोकन नं0 461864446 दिनांक 23.03.2018 द्वारा भुगतान कर दिया गया है। संलग्नक—2 (चालान, टोकन नं0, एस0बी0आई0, सीतापुर से मेल द्वारा प्राप्त ई—पेमेन्ट की रसीद की छायाप्रति)
2 (क)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीषन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या- 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5—3/2007—एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेषानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि कैम्पा,	यूजर एजेन्सी द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराषि कैम्पा एकाउण्ट में, NEFT द्वारा सीतापुर कोषागार का टोकन नं0 461864446 दिनांक 23.03.2018 द्वारा भुगतान कर दिया गया है। संलग्नक—2 (चालान, टोकन नं0, एस0बी0आई0, सीतापुर से मेल द्वारा प्राप्त

	नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	ई–पेमेन्ट की रसीद की छायाप्रति)
2 (ख)	इसके उपरान्त जमा की गयी धनराषि की आनलाइन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	यूजर एजेन्सी द्वारा जमा की गयी कुल धनराशि रु0 59321739.00 (वृक्षारोपड़ एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु रु0 14888045.00 एवं एन0पी0वी0 हेतु धनराषि रु0 44433694.00) को कैम्पा एकाउण्ट में, NEFT द्वारा सीतापुर कोषागार का टोकन नं0 461864446 दिनांक 23.03.2018 द्वारा भुगतान कर दिया गया है। संलग्नक–2 (चालान, टोकन नं0, एस0बी0आई0, सीतापुर से मेल द्वारा प्राप्त ई–पेमेन्ट की रसीद की छायाप्रति) सैद्धांतिक स्वीकृत में उल्लेखित समस्त शर्तो का अनुपालन इस पत्र के साथ किया जा रहा है।
2 (ग)	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेगें कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनरशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	यूजर एजेन्सी द्वारा इस हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्नक–3
3	विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भो द्वारा सीमाकंन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशांतर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forword) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।	यूजर एजेन्सी द्वारा इस हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। संलग्नक–4
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगें की आई0आर0सी0 के मानको के अनुरुप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0), सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वंय के व्यय पर वन विभाग के दिषा निर्देशन में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो वृक्षारोपण किया जायेगा।	यूजर एजेन्सी द्वारा इस हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। संलग्नक–5
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र संलग्न है, जिस पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर किये गये हैं। संलग्नक–6
6	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान	यूजर एजेन्सी द्वारा इस हेतु वचनबद्धता

6	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून, दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	यूजर एजेन्सी द्वारा इस हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। संलग्नक–7
7	सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण प्रत्र प्रस्तुत करेगें।	यूजर एजेन्सी द्वारा इस हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। संलग्नक–8
8	राज्य सरकार ऑनलाईन प्रस्ताव में सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज जो कि एन0आई0सी0 के स्तर पर तकनीकी रूप से अपलोड नही हो पाये है उक्त दस्तावेज ऑनलाईन अपडेट करते हुए इस कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करेगी।	ऑनलाईन प्रस्ताव में सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज तथा क्षतिपूरक वनीकरण की KML file, Toposheet & Geo Reference Map ऑनलाइन पोर्टल पर यूजर एजेन्सी द्वारा अपलोड की जा चुकी है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार 02 प्रतियों में।

भवदीय,

(के0प्रवीण राव)
मुख्य वन संरक्षक
लखनऊ मण्डल उ0प्र0 लखनऊ

पत्रांक : ....../उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी दक्षिण खीरी वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(के0 प्रवीण राव)
मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल उ0प्र0 लखनऊ

D:\BACKUP\2018\Geanral Letter\April 2018\119.doc
Edited by Baby yadav

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्याः– 4208 / 14–1, बरेली, दिनांक, 24 / मई / 2018.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :– विश्व बैंक पोषित उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत गोला–शाहजहांपुर मार्ग (एस0एच0–93) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में 0.000 से 49.000 तक चौड़ीकरण हेतु 1.998 है0 आरक्षित वनभूमि एवं 471.00 है0 संरक्षित वनभूमि कुल 49.098 है0 वनभूमि तथा शाहजहांपुर में किमी0 49 से 59 तक 8.00 है0 संरक्षित वनभूमि कुल 57.098 है0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस अवस्थित 5890 वृक्षों (लखीमपुर वन प्रभाग में 5425 वृक्ष एवं शाहजहांपुर वन प्रभाग में 465 वृक्ष) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय का पत्रांक 8बी0 / यू0पी0 / 06 / 109 / 2016 / एफ0सी0 / 590 दिनांक 14–11–2017

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, शाहजहाँपुर ने अपनी पत्र संख्या–2685 / 14–1 दिनाँक 09.05.2018 के द्वारा भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या 03 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित की गयी हैं।

अतः प्रभाग स्तर से प्राप्त अनुपालन आख्या 03 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है।

Condition No.	Condition	Status of Compliance
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वन भूमि अर्थात 8.00 है0 (8 X 2 = 16.00 hac.) पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथासंशोधित) कैम्पा नई दिल्ली के पक्ष में जमा की जायेगी।	शर्त सं0–1 के अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि 8.0 है0 के स्थान पर दुगने अवनत वनभूमि 16 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु धनराशि 3657174.00 ई–पोर्टल के माध्यम से जमा कर दी गयी है। प्रभागीय निदेशक, शाहजहाँपुर के पत्रांक 2353 / 14–1 दिनांक 12–04–18 द्वारा वांछित सूचना मुख्य वन संरक्षक कैम्पा उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित कर दी गयी है। छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक–1)
2	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0–5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि कैम्पा नई दिल्ली के पक्ष में जमा की जायेगी।	शर्त सं0–2 (क) के अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा वन विभाग के पक्ष में शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि जमा कर दी गयी है। प्रभागीय निदेशक, शाहजहाँपुर के पत्रांक 2353 / 14–1 दिनांक 12–04–18 द्वारा वांछित सूचना मुख्य वन संरक्षक कैम्पा उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित कर दी गयी है। छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक–1)
	(ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑन लाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जायें। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	शर्त सं0–2 (ख) के अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा समस्त निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन योजना प्राधिकरण (Ad-Hoc CAMPA) में जमा कर दी गयी। प्रभागीय निदेशक, शाहजहाँपुर के पत्रांक 2353/14–1 दिनांक 12–04–18 द्वारा वांछित सूचना मुख्य वन संरक्षक कैम्पा उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित कर दी गयी है। छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक–1)

	(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेगें कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का बचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है कि एन0पी0वी की दरो में भविष्य में यदि कोई वृद्वि होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। (संलग्नक-2)
3	विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमाकंन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगें प्रत्येक स्तम्भ के आगें Forward एवं पीछें Backward उनकी दशा में Bearing भी लिखनी होगी।	शर्त सं0-3 के अनुपालन में प्रयोक्त अभिकरण का बचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-3)
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगें कि आई0आर0सी0 के मानको के अनुरूप तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं0-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दि0 16-11-2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वंय के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़के के दोनो तरफ तथा डमकपंद पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।	शर्त सं0-4 के अनुपालन में प्रयोक्त अभिकरण का सड़क के दोनो तरफ तथा डमकपंद पर स्वंय के व्यय पर वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-4)
5	प्रयोक्ता अभिकरण मक डिस्पोजल योजना बनाकर इस कार्यालय को प्रेषित करें।	शर्त सं0-5 के अनुपालन में मक डिस्पोजल योजना संलग्न है। (संलग्नक-5)
6	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशो का पालन करेगी।	शर्त सं0-6 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण का इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि सभी नियम, कानून के पालन में प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-6)
7	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा विषयक मार्ग पर कोई कार्य नही किया गया है और न ही वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लघंन हुआ है।	प्रयोक्ता अभिकरण का इस आशय का बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है कि उनके द्वारा प्रस्तावित मार्ग पर कोई कार्य नही किया गया है और न ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन किया गया है। (संलग्नक-7)
8	राज्य सरकार आंन लाईन प्रस्ताव में सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज जो कि एन0आई0सी0 के स्तर पर तकनीकी रूप से अपलोड नही हो पायें है। उक्त दस्तावेज आंन लाईन अपडेट करते हुये इस कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करेगी।	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रकरण में वांछित आवश्यक दस्तावेज, क्षतिपूरक वनीकरण के0एम0एल0 फाईल, टोपोशीट, जियो रिफरेन्स मैप आन लाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये है।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार 03-03 प्रतियों में।

भवदीय,
24/08
(पी0पी0 सिंह)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्या:- (1)/14-1, दिनॉकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, शाहजहॉपुर को उनके पत्रांक-2685/15-1 दिनांक 09-05-2018 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पी0पी0 सिंह)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहांपुर।

पत्रांक 2685 /14-1 दिनांक, शाहजहांपुर, 2018 9-5

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
सा0 वा0 बरेली वृत्त, बरेली

विषय :- विश्व बैंक पोषित उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत गोला-शाहजहांपुर मार्ग (एस0एच0-93) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में 0.000 से 49.000 तक चौड़ीकरण हेतु 1.998 है0 आरक्षित वनभूमि एवं 471.00 है0 संरक्षित वनभूमि कुल 49.098 है0 वनभूमि तथा शाहजहांपुर में किमी0 49 से 59 तक 8.00 है0 संरक्षित वनभूमि कुल 57.098 है0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस अवस्थित 5890 वृक्षो (लखीमपुर वन प्रभाग में 5425 वृक्ष एवं शाहजहांपुर वन प्रभाग में 465 वृक्ष) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय का पत्रांक 8बी0/यू0पी0/06/109/2016/एफ0सी0/590 दिनांक 14-11-2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो विशेष सचिव वन उ0प्र0 शासन को सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, के क्रम में दी गयी सैद्वान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप पत्र में निम्नवत् है –

Condition No.	Condition	Status of Compliance
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वन भूमि अर्थात 8.00 है0 (8 X 2 = 16.00 hac.) पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथासंशोधित) कैम्पा नई दिल्ली के पक्ष में जमा की जायेगी।	शर्त सं0-1 के अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि 8.0 है0 के स्थान पर दुगने अवनत वनभूमि 16 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु धनराशि 3657174.00 ई-पोर्टल के माध्यम से जमा कर दी गयी है। इस कार्यालय के पत्रांक 2353/14-1 दिनांक 12-04-18 द्वारा वांछित सूचना मुख्य वन संरक्षक कैम्पा उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित कर दी गयी है। छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-1)
2	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत-आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि. कैम्पा नई दिल्ली के पक्ष में जमा की जायेगी।	शर्त सं0-2 (क) के अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा वन विभाग के पक्ष में शुद्व वर्तमान मूल्य की धनराशि जमा कर दी गयी है। इस कार्यालय के पत्रांक 2353/14-1 दिनांक 12-04-18 द्वारा वांछित सूचना मुख्य वन संरक्षक कैम्पा. उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित कर दी गयी है। छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-1)
	(ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की आन लाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मुद्वार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जायें। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	शर्त सं0-2 (ख) के अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा समस्त निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन योजना प्राधिकरण (Ad-Hoc CAMPA) में जमा कर दी गयी। इस कार्यालय के पत्रांक 2353/14-1 दिनांक 12-04-18 द्वारा वांछित सूचना मुख्य वन संरक्षक कैम्पा उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित कर दी गयी है।छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-1)
	(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का बचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है कि एन0पी0वी की दरो में भविष्य में यदि कोई वृद्वि होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। (संलग्नक-2)

3	विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमाकंन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगें प्रत्येक स्तम्भ के आगें Forward एवं पीछें Backward उनकी दशा में Bearing भी लिखनी होगी।	शर्त सं0–3 के अनुपालन में प्रयोक्त अभिकरण का वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–3)
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्वता पत्र प्रस्तुत करेगें कि आई0आर0सी0 के मानको के अनुरुप तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं0–27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दि0 16–11–2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वंय के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़के के दोनो तरफ तथा डमकपंद पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।	शर्त सं0–4 के अनुपालन में प्रयोक्त अभिकरण का सड़क के दोनो तरफ तथा डमकपंद पर स्वंय के व्यय पर वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–4)
5	प्रयोक्ता अभिकरण मक डिस्पोजल योजना बनाकर इस कार्यालय को प्रेषित करें।	शर्त सं0–5 के अनुपालन में मक डिस्पोजल योजना संलग्न है। (संलग्नक–5)
6	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशो का पालन करेगी।	शर्त सं0–6 के अनुपालन में प्रयोक्त अभिकरण का इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि सभी नियम, कानून के पालन में प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–6)
7	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा विषयक मार्ग पर कोई कार्य नही किया गया है और न ही वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लघंन हुआ है।	प्रयोक्ता अभिकरण का इस आशय का बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है कि उनके द्वारा प्रस्तावित मार्ग पर कोई कार्य नही किया गया है और न ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन किया गया है। (संलग्नक–7)
8	राज्य सरकार आंन लाईन प्रस्ताव में सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज जो कि एन0आई0सी0 के स्तर पर तकनीकी रूप से अपलोड नही हो पायें है। उक्त दस्तावेज आंन लाईन अपडेट करते हुये इस कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करेगी।	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रकरण में वांछित आवश्यक दस्तावेज, क्षतिपूरक वनीकरण के0एम0एल0 फाईल, टोपोशीट, जियो रिफरेन्स मैप आन लाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये है।

उक्त सूचना में वांछित समस्त संलग्नक तीन–तीन प्रतियों में संलग्नकर इस आशय से प्रेषित है कि वांछित सूचना अपने स्तर से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराने की कृपा करें।
संलग्नक – उपरोक्तानुसार 03–03 प्रतियों में।

भवदीय

(मनोज कुमार खरे)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एव वन्य जीव प्रभाग,शाहजहांपुर।

पत्रांक / उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–3 (विश्व बैंक लो0नि0वि0, सीतापुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार खरे)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एव वन्य जीव प्रभाग,शाहजहांपुर।

D:\New Staff\of forest\... LATTER.Doc

Enclosure -2

ONLINE FUND SUBMISSION RECEIPT

Praptra-1

Serial No.	Detail	Complaince
1	2	3
1	CA amount as per proposal	3657174
2	CA amount deposited	3657174
3	Difference in amount	0
4	Reason for difference	-
5	NPV amount as per proposal	5008000
6	NPV amount deposited	5008000
7	Difference in amount	0
8	Reason for difference	-
9	Any other amount deposited-(Complete detail be provided)	0
10	CAMPA confirmation	Payment has been made by E-payment in Ad-HOC CAMPA against application no. 6113414970 challan generated on dated 23.03.2018 and transaction dated 25.03.2018 by user agency Chief Engineer, Externally Aided Project, P.W.D., Lucknow.

(Gopal Ojha)
Divisional Forest Officer
Forest and Wildlife Division,
Shahjahanpur

सलग्नक-1

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 23-03-2018

Agency Name.	PWD
Application No.	6113414970
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	Office of the Chief Engineer, World Bank Projects Lucknow
Amount(In Rs)	59321739/-

Amount in Words :Five Crore Ninety Three Lakh Twenty-One Thousand Seven Hundred and Thirty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	150906113414970
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be creadited to the respective CAMPA State Account.

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 23-03-2018

Agency Name.	PWD
Application No.	6113414970
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	Office of the Chief Engineer, World Bank Projects Lucknow
Amount(In Rs)	59321739/-

Amount in Words :Five Crore Ninety Three Lakh Twenty-One Thousand Seven Hundred and Thirty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	150906113414970
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be creadited to the respective CAMPA State Account.

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

19/04/18

(मनोज कुमार खरे)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन ए...

19/4/18

(आर. बी. सिंह)

क्षेत्रीय वन अधिकारी

संलग्नक 1/1

CCL/DCL E-PAYMENT BILL FORM FOR FINANCIAL YEAR-20172018

CODE : 1885 DIVISION NAME : WORLD BANK DN STP HEAD CODE: 8782001020202

...Name : SITAPUR 2. Treasury Name : SITAPUR 3. Bill Date: 23-03-18 4. Record Code :CCL 5. Treasury Code : 4600
...Bill Register Serial No : C188500001 7. Voucher No : 8. Voucher Date : 9. Token No:461864446
... Non-PlanVoted 12.Object Code:24 13. Head of Account (13 Digit Code) : 5054053379705 Major Head : (5054) - CAPITAL OUTLAY ON ROADS AND BRIDGES Minor Head : (337) - ROAD WORKS Sub Head : (97) - 14.Grant No:058

(66)-Gross :59321739	(77)-Total Deduction :0	(99)-Net Amount :59321739
SBI :0	NON SBI:59321739	Draft : 0

Signature D.D.O.

Passed for Rs.59321739 (Rs. Five Crore Ninety Three Lakh Twenty One Thousand Seven Hundred Thirty Nine Only)
Under Rs.59321739 ...

अधिशासी अभियन्ता।
निर्माण खण्ड-3 (विश्व बैंक)
लो०नि०वि०, सीतापुर

Signature(BPA) Signature(ATO) Signature(TO/STO/CTO)

19/04/18
(मनोज कुमार खरे)
प्रभारीय निदेशक

19/4/18
(आर.पी.सिंह)
क्षेत्रीय ... अधिकारी

Enclosure -2.

UNDERTAKING FOR PAYMENT OF NET PRESENT VALUE OF FOREST AREA

It is to certify that I/We have applied for diversion of 114.196 ha. (47.1 x 2 = 94.2 ha. Protected Forest + 1.998 x 2 = 3.996 ha. Reserve Forest in District Kheri and 8.00 x 2 = 16 ha. Protected Forest in District Shahjahanpur) of Forest area for the purpose of Widening / Improvement of Gola-Shahjahanpur Road (SH-93)) from Km 0.00 to km 49.00 in Lakhimpur Kheri District and Km. 49.00 to 59.00 in Shahjahanpur District.

I/We, hereby, undertake to pay the net present value (NPV) of the above forest land. I/we also hereby undertake to pay the additional amount of NPV, if any change occurs in future for rate of NPV.

For UPPWD

(S.K. Gautam) 10/4/18
Executive Engineer,
CD-3 (World Bank),
PWD, Sitapur

9/04/18
(मनोज कुमार खरे)
प्रभागीय निदेशक
वन एवं वन्य जीव प्रभाग

19/4/18
(आर. के. सिंह)
क्षेत्रीय वन अधिकारी

Enclosure -43

UNDERTAKING FOR PAYMENT OF DEMARCATION OF FOREST AREA

It is to certify that I/We have applied for diversion of 114.196 ha. (47.1 x 2 = 94.2 ha. Protected Forest + 1.998 x 2 = 3.996 ha. Reserve Forest in District Kheri and 8.00 x 2 = 16 ha. Protected Forest in District Shahjahanpur) of Forest area for the purpose of Widening / Improvement of Gola-Shahjahanpur Road (SH-93)) from Km 0.00 to km 49.00 in Lakhimpur Kheri District and Km. 49.00 to 59.00 in Shahjahanpur District.

I/We, hereby, undertake to pay the cost of demarcation of proposed Forest Area by pillars mentioning bearing at Forward and Backward side after Formal Approval. The pillaring shall be undertaken during Joint Survey with Forest Dept. Map mentioning the Latitude and Longitude of the pillars shall also be submitted to forest dept.

For UPPWD

(S.K Gautam) 10/4/18
Executive Engineer,
CD-3 (World Bank),
PWD, Sitapur

19/04/18
(मनोज कुमार (बे))
प्रभागीय निदेशक
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

19/4/18
(अ. गो. (बे))
क्षेत्रीय वन अधिकारी

Enclosure-04

UNDERTAKING FOR PAYMENT OF PLANTATION BOTH SIDE OF THE ROAD

It is to certify that I/We have applied for diversion of 114.196 ha. (47.1 x 2 = 94.2 ha. Protected Forest + 1.998 x 2 = 3.996 ha. Reserve Forest in District Kheri and 8.00 x 2 = 16 ha. Protected Forest in District Shahjahanpur) of Forest area for the purpose of Widening / Improvement of Gola-Shahjahanpur Road (SH-93)) from Km 0.00 to km 49.00 in Lakhimpur Kheri District and Km. 49.00 to 59.00 in Shahjahanpur District.

I/We, hereby, undertake to pay the cost of plantation both side the road and median (based on availability) under the directives of Forest Dept.

For UPPWD

(S K Gautam) 10/4/18

Executive Engineer,
CD-3 (World Bank),
PWD, Sitapur

19/04/18
(मनोज कुमार खरे)
प्रभागीय निदेशक

19/4/18
(आर. पी. सिंह)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
शाहजहाँपुर

Enclosure -05

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF MUCK DISPOSAL

It is to certify that I/We have applied for diversion of 114.196 ha. (47.1 x 2 = 94.2 ha. Protected Forest + 1.998 x 2 = 3.996 ha. Reserve Forest in District Kheri and 8.00 x 2 = 16 ha. Protected Forest in District Shahjahanpur) of Forest area for the purpose of Widening / Improvement of Gola-Shahjahanpur Road (SH-93)) from Km 0.00 to km 49.00 in Lakhimpur Kheri District and Km. 49.00 to 59.00 in Shahjahanpur District.

I/We, hereby, undertake that the existing bituminous layer will be milled by milling machines and collected at plant site by using latest technology of recycling of the milled material, which is regenerate by adding admixture and emulsion. Thus the obtained mix will be reused in the construction of project highways. This practice is permissible under the Specification for highways published by Ministry of Road Transport & Highways (MORTH).

Hence, the project itself will not produce any muck to be disposed. It is further stated that muck produced is very valuable material and is mixture of grit and bitumen which is not advisable to throw it off.

(मनोज कुमार ...) 19/04/18
प्रभागीय निदेशक

For UPPWD

(S.K. Gautam) 10/4/18
Executive Engineer,
CD-3 (World Bank),
PWD, Sitapur

19/4/18
(आर. पी. सिंह)
प्रभागीय वन अधिकारी

Enclosure-06

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF GUIDELINES

It is to certify that I/We have applied for diversion of 114.196 ha. (47.1 x 2 = 94.2 ha. Protected Forest + 1.998 x 2 = 3.996 ha. Reserve Forest in District Kheri and 8.00 x 2 = 16 ha. Protected Forest in District Shahjahanpur) of Forest area for the purpose of Widening / Improvement of Gola-Shahjahanpur Road (SH-93)) from Km 0.00 to km 49.00 in Lakhimpur Kheri District and Km. 49.00 to 59.00 in Shahjahanpur District.

I/We, hereby, undertake to comply with all present and future Regulations and Guidelines as may applicable for the project.

For UPPWD

(S.K. Gautam) 10/4/18
Executive Engineer,
CD-3 (World Bank),
PWD, Sitapur

10/4/18
(मनोज कुमार खरे)
प्रभागीय निदेशक

19/4/18
(आर.पी. सिंह)
प्रभागीय वन अधिकारी
शाहजहाँपुर

Enclosure -07

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF GUIDELINES

It is to certify that I/We have applied for diversion of 114.196 ha. (47.1 x 2 = 94.2 ha. Protected Forest + 1.998 x 2 = 3.996 ha. Reserve Forest in District Kheri and 8.00 x 2 = 16 ha. Protected Forest in District Shahjahanpur) of Forest area for the purpose of Widening / Improvement of Gola-Shahjahanpur Road (SH-93)) from Km 0.00 to km 49.00 in Lakhimpur Kheri District and Km. 49.00 to 59.00 in Shahjahanpur District.

I/We, hereby, undertake that no work shall be carried in Forest Area before Formal Approval of the Project under Forest Conservation Act, 1980.

For UPPWD

(मनोज कुमार खरे)

(S.K. Gautam) 19/4/18

Executive Engineer,
CD-3 (World Bank),
PWD, Sitapur

19/4/18

क्षेत्रीय वन अधिकारी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–3 (विश्व बैंक)
लो0नि0वि0, सीतापुर

पत्रांकः 549 / 1सी / 2021 दिनांकः 15 / 12 / 2021
सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
दक्षिण खीरी वन प्रभाग,
लखीमपुर–खीरी।

विषयः–विश्व बैंक पोषित उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत गोला–शाहजहांपुर मार्ग (एस0एच0–93) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में कि0मी0 0.000 से 49.000 तक चौड़ीकरण हेतु 1.998 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 47.1 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 49.098 हे0 वनभूमि तथा शाहजहांपुर में किमी0 49.000 से 59.000 तक 8.00 हे0 संरक्षित वन भमि अर्थात कुल 57.098 हे0 वनभूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल 6275 वृक्षों / पौधों (दक्षिणी खीरी वन प्रभाग में 5450 एवं शाहजहांपुर वन प्रभाग में 817 वृक्ष) के पातन की अनुमति की सैद्धांतिक स्वीकृति के उपरान्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विधियत स्वीकृति (Stage-II Forest Clearance) के संबंध में।

संदर्भः–कार्यालय मुख्य संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लखनऊ का पत्रांक 1680 / 11–सी–FP/UP/Road/13414/2015 dt. 02.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त मार्ग पर आरक्षित वन के अन्तर्गत कुल प्रभावित 1.998 हे0 भूमि के स्थान पर जिलाधिकारी महोदय, खीरी द्वारा कार्यालय जिलाधिकारी, खीरी (भूमि व्यवस्था अनुभाग) का आदेश सं0 12ए / भूमि पुर्नग्रहण–वन वि0 ग्रन्टलन्दनपुर / डी0एल0आर0सी0 दिनांक 14.06. 2015 (प्रति संलग्न) के माध्यम से ग्राम लन्दनपुर गोला–तहसील, जनपद–खीरी की भूमि गाटा सं0 2271 कुल क्षेत्रफल 2.165 हे0 वन विभाग के पक्ष में पुर्नग्रहित की गयी। जो कि उद्धरण खतौनी में वन विभाग खीरी के पक्ष में पुर्नग्रहित हो चुकी है (प्रति संलग्न)। गोला तहसील में इस संबंध में सम्पर्क किया गया तथा ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि वन विभाग खीरी के पक्ष में स्थानान्तरित की जा चुकी है तथा जुलाई 2022 तक राजस्व विभाग के पोर्टल पर स्वतः ही वन विभाग खीरी के नाम दर्ज दिखाने लगेगा।

उपरोक्त कार्य की भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्रांक 8बी0 / यू0पी0 / 06 / 109 / 2016 / एफ0सी0 / 590 दिनांक 14.11.2017 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त वन विभाग खीरी के पक्ष में पुर्नग्रहित की गयी भूमि क्षेत्रफल 2.165 हे0 तथा कि0मी0 0.000 से 49.000 के तक चौड़ीकरण के प्रयोगार्थ 47.1 हे0 संरक्षित वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव में व्यय होने वाली धनराशि रू0 5,93,21,739.00 को कैम्पा एकाउन्ट नई दिल्ली को सीतापुर कोषागार का टोकन नं0 46186446 दिनांक 23.03.2018 द्वारा भुगतान किया जा चुका है।

उक्त मार्ग की वन मंत्रालय से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुए 04 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग पर वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति (Stage-II Forest Clearance) शीघ्र करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–3 (विश्व बैंक),
लो0नि0वि0, सीतापुर

प्रतिलिपिः–

1.मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2.मुख्य अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना, लो0नि0वि0, लखनऊ।
3.अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक योजना वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

16/12/21 16/12/21

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–3 (विश्व बैंक),
लो0नि0वि0, सीतापुर

Scanned with CamScanner

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गोला–शाहजहाँपुर राजमार्ग स्टेट हाइवे नं0–93 के चौड़ीकरण कार्य में शामिल वन भूमि के बदले चिन्हित भूमि जिस पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाना है, इस कार्य एवं प्रबन्धन हेतु उपयुक्त है। इनमें से 100 हे0 भूमि मोहम्मदी रेंज के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि है तथा 2.165 हे0 भूमि वन विभाग के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा पुर्नग्रहीत कर वन विभाग को दी गयी है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	प्रभागीय वनाधिकारी
मोहम्मदी	लखीमपुर	दक्षिण खीरी वन प्रभाग
दक्षिण खीरी वन प्रभाग	दक्षिण खीरी वन प्रभाग	लखीमपुर–खीरी

Scanned with CamScanner

41

कार्यालय जिलाधिकारी, खीरी
(भूमि व्यवस्था अनुभाग)

सं0-129/भूमि पुर्नग्रहण-वन वि0 ग्रान्टलन्दनपुर/डीएलआरसी, दिनांक-- 14-6-2015

आदेश

शासनादेश सं0-256/16(1)-1973-रा0-1 दिनांक---16 जून 1981 को आँशिक परिष्कार करते हुए और उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्य0 अधि0 1950(उ0प्र0 अधिनियम सं-1-1951) की धारा-117 की उपधारा-(6) के द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0 256/रा0-1/16(1) 73 दिनांक 5 मार्च 1974 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मै, किंजल सिंह जिलाधिकारी, खीरी नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि जो अबतक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में गाँवसभा/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेते हुए वन विभाग दक्षिण खीरी के पक्ष में पुर्नग्रहीत की जाती है।

अनुसूची

क्रस0	जनपद	तहसील	परगना	गाँव	गाँवसभा स्था0 प्राधिका0	गाटा सं0	क्षेत्रफल	प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खीरी	गोला	हैदराबाद	ग्रान्ट लन्दनपुर	ग्रान्ट लन्दनपुर	2271	2.165हे	वनविभाग के पक्ष मे ।

(किंजल सिंह)
जिलाधिकारी, खीरी।

संख्या तथा दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग,दक्षिण खीरी जनपद लखीमपुर--खीरी।
2-अधीक्षण अभियन्ता विश्व बैंक योजना वृत्त, लो0नि0वि0 लखनऊ।
3-अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड--3(विश्व बैंक) लो0नि0वि0,सीतापुर।
4-उपजिलाधिकारी गोला।
5-तहसीलदार गोला इस आशय से कि वह सम्बन्धित भूमि के स्थल की पैमाइश कराकर कब्जा दिलायें एवं अभिलेखों में वन विभाग के नाम उक्त भूमि का अमलदरामद कराकर उद्धरण की प्रति इस अनुभाग को उपलब्ध करावे।

प्रभागीय वनाधिकारी दक्षिण खीरी वन प्रभाग लखीमपुर--खीरी

जिलाधिकारी खीरी

Scanned with CamScanner

उद्धरण खतौनी (शासकीय कार्य हेतु)

जनपद कोड : 28030100510 ग्राम का नाम : ग्रन्ट लन्दनपुर परगना हैदराबाद तहसील : गोला

जनपद : खीरी फसली वर्ष : 1422-1423 भाग : 1

खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संक्षेप उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
2			3	4	5	6	7-12	13
5-2 कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम)								
ऊसर		नि. ग्राम	पूर्व1421	19	0.2950		जिलाधिकारी महोदय खीरी के कार्यालय के पत्र सं0-12 ए/भूमि पुनर्ग्रहण वन वि0ग्रन्टलन्दनपुर/डीएलआर सी दि0 14-6-15 के अन्तर्गत आदेश हुआ कि. शासनादेश सं0 258/16(1)-1973-रा0-1 दिनांक 16 जून 1981 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ0प्र0 ज0वि0 एव भू0 व्य0 अधि0 1950(उ0प्र0अधि0 सं0 -1-1951) की धारा 117 की उपधारा (6) के द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0 258/रा-1/16(1)-73 दि0 मार्च 5,1974 द्वारा-प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मै किंजल सिंह जिलाधिकारी खीरी उल्लिखित भूमि गाटा [illegible] 21.6560 है अबतक गॉवसभा / स्थानीय प्राधिकारियो में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार मे लेते हुए [illegible] खीरी के पक्ष मे पुनर्ग्रहीत की जाती है ह0आर0के0 23-6-15	
			पूर्व1421	22	0.1580			
			पूर्व1421	24	0.0810			
			पूर्व1421	56	0.1940			
			पूर्व1421	318	0.1500			
			पूर्व1421	343	0.0650			
			पूर्व1421	359क	0.1210			
			पूर्व1421	356	0.0240			
			पूर्व1421	359	0.1340			
			पूर्व1421	360	0.2830			
			पूर्व1421	361	0.0040			
			पूर्व1421	362	0.0120			
			पूर्व1421	363	0.0770			
			पूर्व1421	364	0.0440			
			पूर्व1421	370	0.0320			
			पूर्व1421	489	0.0810			
			पूर्व1421	624ख	0.2140			
			पूर्व1421	625ख	0.0360			
			पूर्व1421	626	0.4290			
			पूर्व1421	628	0.0930			
			पूर्व1421	630ख	1.7120			
			पूर्व1421	631	0.1210			
			पूर्व1421	851	0.0450			

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
P.W.D., Lucknow

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खीरी

42

Scanned with CamScanner

28030100510 ग्राम का नाम : ग्रन्ट लन्दनपुर परगना हैदराबाद तहसील : गोला

खीरी फसली वर्ष : 1422-1423 भाग : 1

खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
2			3	4	5	6	7-12	13
			पूर्व1421	2069	0.3560			
			पूर्व1421	2145	0.2830			
			पूर्व1421	2178	0.0890			
			पूर्व1421	2181	0.0080			
			पूर्व1421	2194	0.3480			
			पूर्व1421	2211	0.0850			
			पूर्व1421	2214	0.3080			
			पूर्व1421	2221	0.2430			
			पूर्व1421	2235.	0.0890			
			पूर्व1421	2264	0.0400			
			पूर्व1421	2269	0.0650			
			पूर्व1421	2271	2.1650			
			पूर्व1421	2280	0.3520			
			पूर्व1421	2284	0.9110			
			पूर्व1421	2290.	0.9710			
			पूर्व1421	2295	1.4290			
			पूर्व1421	2424	0.1130			
			पूर्व1421	2428	0.2140			
			पूर्व1421	3336	0.3280			
			पूर्व1421	3348	0.3560			
			पूर्व1421	3358	0.1820			
			पूर्व1421	3360	1.3310			
			पूर्व1421	3362	0.0120			
			पूर्व1421	3395	0.3840			
			पूर्व1421	3415	0.0810			
			पूर्व1421	3425	0.3160			
			पूर्व1421	3595	0.6270			
			पूर्व1421	3598	0.1820			

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana
P.W.D. Lucknow

43

31/07/2015

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–3 (विश्व बैंक)
लो0नि0वि0, सीतापुर

पत्रांक: 339 / 1सी / 2021 — दिनांक: 23 / 07 / 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
दक्षिण खीरी वन प्रभाग,
लखीमपुर–खीरी।

विषय:– गोला–शाहजहाँपुर मार्ग (एस0एच0–93) के चौड़ीकरण के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण की संशोधित धनराशि जमा करने के संबंध में।

संदर्भ:– आपका पत्रांक–3556 / 33–1 दिनांक 20.01.2020, 1987 / 33–1 दिनांक 29.10.2020 व 3025 / 33–1 दिनांक 01.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसके माध्यम से आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि गोला–शाहजहांपुर मार्ग (एस0एच0–93) के चौड़ीकरण में प्रभावित संरक्षित वनभूमि 47.1 हे0 के बदले दोगुने 95 हे0 वृक्षारोपण की धनराशि आपके द्वारा संलग्न प्रावकलन के अनुसार कैम्पा के खाते में जमा करायी गयी थी। उक्त जमा करायी गयी धनराशि पर वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा आपत्ति लगायी गयी है कि जमा धनराशि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार नही जमा करायी गयी है। वृक्षारोपण का प्राक्कलन दस चरणों का लिया गया है, प्रथम चरण अग्रिम मृदा कार्य एवं द्वितीय चरण वृक्षारोपण, तृतीय से दशम तक 8 चरण अनुरक्षण लिया गया है जबकि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उक्त प्रस्ताव में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 14.11.2017 के बिन्दु संख्या–1 पर स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि वृक्षारोपण की धनराशि 10 वर्षो के रख–रखाव के साथ जमा की जायेगी। अतः अवशेष दो चरणों (9 एवं 10) / वर्ष रख–रखाव की धनराशि रू0 11,58,911.00 जमा कराने हेतु आपके द्वारा आगणन प्रेषित किया गया है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रेषित आगणन के अनुसार धनराशि रू0 11,58,911.00 उत्तर प्रदेश, कैम्पा फण्ड में चालान संख्या 6113414567 दिनांक 19.07.2021 के द्वारा एकाउन्ट नं0 150906113414567, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, लोधी काम्पलेक्स ब्रान्च, ब्लॉक 11 सी0जी0ओ0 कॉम्पलेक्स, फेज–1, लोधी रोड, न्यू दिल्ली में NEFT/RTGS के द्वारा टोकन संख्या 4621102850 से दिनांक 22.07.2021 को भुगतान हो चुका है, जिसका छायाप्रति संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग पर वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति (Stage-II Forest Clearance) शीघ्र कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:–1. चालान की छायाप्रति।
2.धनराशि ट्रान्जेक्शन की छायाप्रति।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–3 (विश्व बैंक),
लो0नि0वि0, सीतापुर

प्रतिलिपि:–
1.अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक योजना वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–3 (विश्व बैंक),
लो0नि0वि0, सीतापुर

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 19-07-2021

Agency Name.	UTTAR PARDESH (UP) PUBLIC WORKS DEPARTMENT (PWD)
Application No.	6113414567
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/109/2016/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	Office of the Chief Engineer, World Bank Projects (Roads), Nirman Bhawan, 96, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow-226001 (UP)Lucknow
Amount(in Rs)	1158911/-

Amount in Words :Eleven Lakh Fifty-Eight Thousand Nine Hundred and Eleven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150906113414567 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 19-07-2021

Agency Name.	UTTAR PARDESH (UP) PUBLIC WORKS DEPARTMENT (PWD)
Application No.	6113414567
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/109/2016/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	Office of the Chief Engineer, World Bank Projects (Roads), Nirman Bhawan, 96, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow-226001 (UP) Lucknow
Amount(in Rs)	1158911/-

Amount in Words :Eleven Lakh Fifty-Eight Thousand Nine Hundred and Eleven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150906113414567 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

Print Back

Debit Amount

SrNo.	Token No.	Bill Reg No.	Name	Debit Amt.
1	4621102850	C197200007	SITAPUR	1158911

Credit Amount

SrNo.	Benificiary Id	Name	IFSC Code	UTRNO.	Status	Payment Date	Credit Amt.
1	B460000539079	UTTAR PRADESH CAMPA	UBIN0903710	RBI2042172916867	BOOK	2021-07-22	1158911
						TOTAL	1158911